

## आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2002

**का.आ. 27(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पर्यावरण और बन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 993(अ) तारीख 26 नवम्बर, 1998 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, आन्ध्र प्रदेश राज्य तटीय जौन प्रबन्ध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- |  |         |
|--|---------|
| 1. प्रधान सचिव,<br>पर्यावरण, बन और विज्ञान<br>तथा प्रौद्योगिकी,<br>आन्ध्र प्रदेश सरकार,<br>हैदराबाद।                     | अध्यक्ष |
| 2. सचिव,<br>राजस्व विभाग,<br>आन्ध्र प्रदेश सरकार,<br>हैदराबाद।   | सदस्य   |
| 3. निदेशक,<br>नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी,<br>हैदराबाद।   | सदस्य   |
| 4. प्रो. डी. सत्यनारायण,<br>कोमैप्स, महासागर विकास विभाग,<br>प्लाट सं. 51, पांडुरंगपुरम,<br>विशाखापत्तनम्।               | सदस्य   |
| 5. प्रो. ए.वी. रमण,<br>प्राणि विज्ञान और समुद्री जीव<br>विज्ञान विभाग,<br>आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय,<br>विशाखापत्तनम्। | सदस्य   |

6.	सदस्य-सचिव, आन्ध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवासीय और शहरी विकास प्राधिकरण काम्पलेक्स, हैदराबाद।	सदस्य
7.	डा. सुब्रामण्यम् निदेशक, इंटीग्रेटेड कोस्टल एण्ड मैरीन एरिया मैनेजमेंट, महासागर विकास समिति, चेन्नई।	सदस्य
8.	निदेशक, तटक्षेत्र विकास प्राधिकारण, हैदराबाद।	सदस्य-सचिव
II.	प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—	
(i)	तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और अंध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना (सीजैडएम्सी) में वर्गाकरण के परिवर्तन के उपान्तरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।	
(ii)	(क) उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;	
(ख)	उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों वा किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबंधों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को निर्देशित करना :	
	परन्तु इस उप-पैरा के उपखंड (क) और (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संस्थान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिये जा सकेंगे।	
(iii)	इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (ii) के उपखंड (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फ़ाइल करना।	
(iv)	इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उत्पन्न होने वाले विवाद्यक्तों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करना।	

III. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरण विवाद्यक्तों के संबंध में कार्रवाई करेगा जो उसे अंध्र प्रदेश राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन या अपक्षय के लिए अतिसमेत क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खण्डों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा।

VII. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में प्रस्तावित सभी परियोजनाओं की जांच करेगा और परियोजना प्रस्तावों के केन्द्रीय सरकार को या ऐसे अभिकरणों को, जिन्हें भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 144(अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 के अधीन ऐसी परियोजनाओं का समाशोधन करने का कार्य सौंपा गया है, निर्देशित करने के पूर्व अपनी सिफारिशें करेगा।

IX. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, जो अंध्र प्रदेश के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अनुबद्ध और अधिकथित की जाती हैं।

X. प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की बैठकों के दौरान प्राधिकरण के कम से कम दो तिहाई सदस्य उपस्थित रहते हैं।

XI. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

XII. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

XIII. प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित होगा।

XIV. प्राधिकरण इस आदेश में सूचीबद्ध क्रियाकलापों और कृत्यों को करने के लिए उपबंधित निधियां प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेगा।

XV. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-3]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव